

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/841/विविध/2020- 61/20-22-50th/राँची, दिनांक 23.03-2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- अजय बराज योजना अन्तर्गत मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 15.00 कि०मी० तक पी०सी०सी० लाईनिंग एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार कार्य हेतु रुपये 117.92 करोड़ (रुपये एक सौ सत्रह करोड़ बानवे लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्राधीन अजय बराज योजना अन्तर्गत मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 15.00 कि०मी० तक पी०सी०सी० लाईनिंग एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार कार्य हेतु रुपये 117.92 करोड़ (रुपये एक सौ सत्रह करोड़ बानवे लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. अजय बराज योजना का G.C.A. 51,822 हे० एवं रूपांकित खरीफ सिंचाई क्षमता 36,460 हे० तथा रब्बी सिंचाई क्षमता 4050 हे० है।

इस योजना से सिंचाई हेतु मात्र एक मुख्य नहर निकलती है जिसकी लम्बाई- 110.80 कि०मी० है। प्रारम्भ में इसकी जलश्राव क्षमता 1400 क्यूसेक है।

4. इस कार्य के अंतर्गत अजय मुख्य नहर के चैन सं०- 0.00 से 492.00 चैन (15.00 कि०मी०) तक पी०सी०सी० लाईनिंग के अलावे SLR Bridge-3 अदद और मुख्य नहर में जर्जर हो चुके 33 अदद Existing CD को dismantle कर उसी स्थान पर नया CD (Single Barrel) 7 अदद एवं CD (Double Barrel) 26 अदद का निर्माण कार्य किया जायेगा। पी०सी०सी० लाईनिंग का मोटाई 100 mm (4 ईंच) है।

5. योजना के मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 15.00 कि०मी० तक पी०सी०सी० लाईनिंग एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार के प्रशासनिक स्वीकृति के लिये रु० 117.92 करोड़ के प्राक्कलन की मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा तकनीकी अनुमोदन (Technical Approval) प्रदान की गयी है, जिसके प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नवत्

है :-

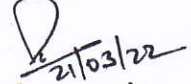


Sl. No.	Component	Amount (in Rs.)
1	G- Bridge	1,55,97,509.32
2	F- CD Works / Barrel	19,03,55,218.08
3	L- Earthwork (i) Earthwork	8,64,46,752.65
4	(ii) Lining (Main Canal 0 to 15 km)	74,49,32,789.79
	Total :-	103,73,32,269.84
	Add 12% GST	12,44,79,872.38
	Total :-	116,18,12,142.22
	Add 1% Labour Cess	1,16,18,121.42
	Add 1/2% Contingency	58,09,060.71
	Grand Total :-	117,92,39,324.35
	Say :-	Rs. 117.92 crore

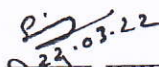
6. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ कर दो वर्ष में पूर्ण किया जाएगा।
7. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल सं०-2, सिकटिया होंगे।
8. (i) इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
(ii) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि-लेवल की मापी एवं कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।
(iii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।
(iv) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनकी स्वयं की होगी।
9. इस योजना पर होने वाला व्यय,
मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य, लघु शीर्ष -001- निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
(विपत्र कोड- 49S-4701-80-001-54-00-05-45)
10. वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक बजट में पूर्ण सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है :-
शीर्ष 49S-4701-80-001-54-00-05-45 में रु० 25200.00 लाख
11. इस कार्य हेतु राशि की निकासी मधुपुर उपकोषागार, मधुपुर से की जायेगी।
12. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. राशि का आवंटन बजट उपबंध के अन्तर्गत किया जाएगा।
14. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
16. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
17. प्रस्ताव पर दिनांक 27.12.2021 की बैठक में राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है।
 - (i) CPM/PERT Chart पर Timeline तैयार करते हुए योजना को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित की जायगी।
 - (ii) उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा Activity wise Plan की Monitoring करायी जायगी।
 - (iii) Routine Maintenance Work का S.O.P तैयार की जायगी।
 - (iv) Inspection Manual तैयार की जायगी।
 - (v) ससमय कार्य पूर्ण करने के लिए पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जायगी।
18. प्रस्ताव पर, राज्य योजना प्राधिकृत समिति की शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने की शर्त के साथ वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
19. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 24.02.2022 के मद सं०-22 के रूप में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
20. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
21. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

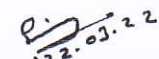
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


 21/03/22
 (प्रशांत कुमार)
 सरकार के सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/841/विविध/2020- 61/21-22 5050/राँची, दिनांक 23-03-22
 प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 23.03.22
 (श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
 सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/841/विविध/2020- 61/21-22 5050/राँची, दिनांक 23-03-22
 प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधुपुर उप कोषागार, मधुपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 23.03.22
 (श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
 सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/841/विविध/2020-61/21-22 506-90/राँची, दिनांक 23-03-22

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, मधुपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल सं०-2, सिकटिया/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/841/विविध/2020-61/21-22 506-90/राँची, दिनांक 23-03-22

प्रतिलिपि :- आयुक्त, संचालपरगना, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 2/पी०एम०सी०/841/विविध/2020-61/21-22 506-90/राँची, दिनांक 23-03-22

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव